भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4346

उत्तर दिनांक 26/03/2025 को दिया गया

कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज का कार्यान्वयन

4346. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना है और भूमि अधिग्रहण, आवास, आजीविका सहायता और अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विस्थापित परिवारों को प्रति एकड़ मुआवजा दर और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता सहित प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना की प्रगति और कार्य के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा सहित पुनर्वासित और पुनर्स्थापित कॉलोनी के विकास संबंधी स्थिति क्या है;

(घ) क्या प्रभावित परिवारों को आर एंड आर पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार या कौशल विकास संबंधी सहायता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आर एंड आर पैकेज की पर्याप्तता या कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इन शिकायतों की प्रकृति क्या है और उक्त शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) कोव्वाडा एनपीपी के लिए अब तक की कुल मंजूरी 1382.93 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्व-परियोजना गतिविधियों के लिए 170.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। अतः एलए और आर एंड आर पैकेज के लिए 1212.93 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

रुपए 1212.93 करोड़ का विवरण निम्नानुसार है:

i. रुपए 584.18 करोड़ पहले ही खर्च किए जा चुके हैं (मुख्य संयंत्र (सरकारी भूमि को छोड़कर) के लिए एलए और आर एंड आर मुआवजे के लिए रुपए 500 करोड़ + भूमि अधिग्रहण यूनिट (एलएयू) हेतु रुपए 6.95 करोड़ + आर एंड आर कॉलोनी भूमि हेतु रुपए 77.234 करोड़)।

ii. आर एंड आर समझौते के अनुसार आर एंड आर कॉलोनी और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए रुपए 427.5 करोड़ आवंटित किए गए।

iii. शेष राशि, रुपए 201.25 करोड़ सरकारी भूमि की एलए लागत, आजीविका सहायता और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित।

(ख) भूमि अधिग्रहण (मुख्य संयंत्र और आर एंड आर कॉलोनी के लिए) और परियोजना प्रभावित परिवारों को आर एंड आर मुआवजे के लिए रुपए 584.18 करोड़ का भुगतान किया गया है।

भूमि प्रकार का मुआवजा नीचे दर्शाया गया है:

- जीरोथ (निजी) भूमि: रुपए 18 लाख प्रति एकड़।
- डी-पट्टा (सौंपी गई) भूमि: रुपए 18 लाख प्रति एकड़।
- अतिक्रमण भूमि (सरकारी): रुपए 9 लाख प्रति एकड़।

(ग) धर्मावरम (श्रीकाकुलम जिला) में आर एंड आर कॉलोनी के निर्माण के लिए कुल 190.70 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। सुविधाओं संबंधी राज्य सरकार के मसौदा योजना के परामर्श से सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया गया है। आर एंड आर कॉलोनी का निर्माण कार्य कार्य सौंपे जाने के बाद 24 से 30 माह में पूरा होने की आशा है।

(घ) आर एंड आर पैकेज के अनुसार, भूमि के मुआवजे के साथ नकद अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर-अधिनियम 2013 के अनुसार) राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से वितरित किए गए हैं।

(ङ) भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों को सुलझने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष उप कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यालय स्थापित किया गया है। जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण और परियोजना विस्थापित परिवारों से प्राप्त सभी शिकायतों को सुलझा रहा है।

*****